

प्रगक

संख्या 196/XXX(2)/2010

दितीप कुमार कोटिया,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

- 3- आयुक्त,
कुमाऊं/गढ़वाल।
4- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 23 जून 2010

विषय- समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों का निस्तारण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कतिपय स्रोतों से शासन के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इनमें कुछ माओ सांसदों/विधायकों से शिकायतें प्राप्त होती हैं तथा कुछ अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त होती हैं। कतिपय मामलों में यह देखा गया है कि शिकायत-पत्रों में अफिक्त शिकायतकर्ता का नाम फर्जी है तथा शिकायतें निराधार व तथ्यहीन हैं। कतिपय मामलों में किसी विशिष्ट व्यक्ति के पैड का दुरुपयोग करते हुए फर्जी हस्ताक्षर से शिकायती पत्र दिये जाते हैं।

2- अतः वेनागी अथवा फर्जी शिकायतों की बढ़ती प्रवृत्ति का दृष्टि में रखते हुए सम्यक विचारोंपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिकायती-पत्रों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाय-

1- विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती पत्रों के सन्ध में कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व यदि शिकायती पत्र की सत्यता सदिग्ध प्रतीत होती हो और उसकी पुष्टि करना आवश्यक समझा जाय तो सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्टि कर ली जाय कि पत्र उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षरित है और शिकायतों के सन्ध में उनको सन्तोष हो गया है कि शिकायतें तथ्यों पर आधारित हैं।

2- अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सन्ध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ-पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाय और इसके प्राप्त होने के उपरान्त ही आगे कार्यवाही की जाय।

3- अतः आपसे यह अनुरोध है कि कृपया समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के विरुद्ध विभिन्न स्तरों पर अफिक्त/प्राप्त होने वाले समस्त शिकायती-पत्रों का उपरोक्त निर्देशों के अनुसार ही निस्तारण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(दितीप कुमार कोटिया)
प्रमुख सचिव।

1-T.

upload करें.

216

8/2/10

(देवेन्द्र शाह)
अधिशाली अभियन्ता